



COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Dr. D.K. Yadav
DEAN

Mob. No. - 7976144702
Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

No. F /Store/ACL/2026/ 969

Date: 09-01-2026

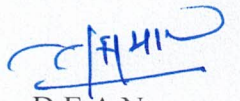
OPEN TENDER NOTICE

Sealed tenders in two envelopes (Technical & Financial) are invited from the reputed firms for the supply of Equipment's and items for Sports facilities as per details given below. The tenders will be accepted upto 12.00 Noon on 19.01.2026 and will be opened at 12.30 PM on the same day at College of Agriculture Lalsot, Dausa. Bid documents can be obtained from this office by depositing bid document fees DD or cash ₹ 500/- and also download from university website www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in (will have to submit DD or cash ₹ 500/- in favor of 'Dean, College of Agriculture Lalsot', while submitting bid). Bidders have to quote their rates for each item separately in the performa attached. The committee has all right to accept/reject any tender without assigning the reasons thereof. The approximate purchasing can be increased/decreased. The estimated cost will be approximately Rs 570000 and earnest money ₹ 11400/- DD will be deposited in favor of "Dean College of Agriculture Lalsot" which the tender will not accept. Earnest money will be refunded to the non-successful firms after finalization of the tender and successful bidders after satisfactory supply of the items.

DEAN

Copy forwarded for information and necessary action:

1. PS to Hon'ble Vice-Chancellor, SKNAU, Jobner
2. The Comptroller, SKNAU, Jobner with the request that kindly depute your nominee for the same.
3. The O/I CIMCA with the request to upload this open tender on university website
4. Dr J.K Gupta for upload the tender on sppp.rajasthan.gov.in
5. The Convenor/Member Tender Committee, COA, Lalsot
6. Accounts Section, COA, Lalsot
7. Notice Boards, COA, Lalsot


DEAN
DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

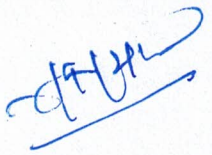
The requirements of the following Equipment's and items for Sports for COA Lalsot

Equipment's and items for Sports Facilities

S. No.	Name of items	No. of Items
1.	AIR WALKER	01
2.	HIP & WAIST TWISTER Triple person	01
3.	SHOULR EXERCIE WHEEL	02
4.	SINGLE POSITION BODY RIDER	02
5.	AIR STRIDER	02
6.	SIT UP BOARD DOUBLE	01
7.	DOUBLE SEATED PUSH TRAINER	03
8.	BACK EXTENSION	02
9.	MULTIFUNCTIONAL TRAINER	01
10.	HORSE RIDER	02
11.	ROWER	03
12.	MONKEY BAR	02
13.	LEG EXTENSION	02
14.	CROSS TRAINER	03
15.	EXERCISE CYCLE	02
16.	BALANCE BEAM	01
17.	PULL UP BAR	01
18.	UNEVEN BARS	01
19.	TAI- CHISPINNER 4 WHEEL	02

NOTE: The specifications of the above lab equipments are given in ANNEXURE-I

2/5/21



Terms and conditions-

1. All the equipments/instruments/items should be according to given specifications and required certification.
2. The brochure of the equipments/instruments/items, if available, be submitted.
3. The cost will be inclusive of all the taxes, packing delivery and installation at College of Agriculture Lalsot, Dausa (Rajasthan). Installation should be proper on cement concrete iron column foundation or as per equipments requirement.
4. Free delivery, installation and demonstration of operation of the equipments/instruments/items.
5. Instructional manual to be provided as per requirement.
6. The supplier should enclose the technical compliance statements against our technical specifications clearly mentioning for each point. The statement should be supported by relevant literature/data.
7. Manufacturer/company should have CE/ISO/GMP/ ISI certification as per requirement of particular equipments.
8. If the same rates have been quoted by two or more tenders the committee will be authorized to finalize as per turnover and service experience.
9. The rates quoting should have GST number for fill the tender & submit documents with technical envelop.
10. The bidder bear the responsibility of GST/other charges etc. as per Government rules.
11. All the items must be of standard and good quality with minimum three-years warranty of all the quoted items.
12. Turnover of the seller from last 3 years must be verified by authorized Chartered Accountant.
13. The undersigned have the power of rejection in case of supplied items would not full fill the prescribed specifications.
14. The turn over will be essential at least 150 percent more of quoted category for 3 years

Bids shall satisfy the following conditions:

1. The technical bid will be quoted in the format provided (Annexure-1) along with all required documents and proofs in mentioned serial number.
2. The financial rate will be quoted in the format provided (Annexure- 2) in INR only and there should be clear mention of net price of the item and taxes (GST & others, if any), separately. Rate shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for the receipt of quotations.
3. The rate quoted shall be free delivery and installation at College of Agriculture Lalsot (Dausa).
4. Delivery must be completed within 30 days after issue of the supply order.
5. Full specifications of the article quoted must be given in the quotation along with literature/pamphlet and name of brand and model No. of instrument etc.
6. If the bid is submitted by the authorized dealer on behalf of the Manufacturer/OEM, then valid authorization certificate of the Manufacturer/OEM must be attached with the bid.
7. The EMD shall be refunded without interest to the unsuccessful bidders after finalization of the tender. In case of successful bidder, it can be adjusted towards security/performance deposit which is 5.0% of the order value in the form of D.D. from nationalize bank drawn in favor of 'Dean, College of Agriculture Lalsot' payable at LALSOT and shall remain valid for 60 days beyond the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment.
8. The Dean, College of Agriculture Lalsot reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.
9. Scanned copy of PAN, GST nos., Authorised dealer, sale licence may be attached with the bid.
10. Technical and financial bids are to be prepared separately. If technical and financial bids are not given separately, it will be rejected out rightly with assigning any reason.
11. In case, any dispute arising out of this contractor shall be subject to the Jurisdiction of Indian laws and Court at Lalsot. Price preference and/or purchase preference as per provisions of Government of Rajasthan shall be admissible in evaluation and award of contract.
12. The following documents must be furnished with the technical bid (Annexure I) failing which tender will not be accepted at all.
 - i. Scanned copy of PAN, GST nos, latest GST clearance with bank details.
 - ii. Current Authorization letter issued from Manufacture/Principal Firm whichever are applicable/ authorised dealer / sale licence.
 - iii. Earnest Money Deposit (EMD) as per items quote.
 - iv. Required Certificates ISI/ISO, GMP, CE etc. (whichever is applicable).
 - v. Three years turnover certificates from CA authorized.
13. Financial Bid should be submitted separately in sealed envelope as per the format given in Annexure II.

कृषि महाविद्यालय, लालसोट

तकनीकी बिड
(लिफाफा नं. 01)

निविदा की नियम व शर्तें :-

1. संपूर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेजात संलग्न करें ।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी। निविदा के साथ 2: धरोहर राशि ₹ 11400/- आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के साथ **TAN/PAN/GST** नम्बर आयकर/बिक्री कर क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में जिस पर **Equipment's and items for Sports Facilities** के लिए निविदा लिखा हो प्रस्तुत करनी होगी।
6. निविदा में कांट छांट नहीं होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि लौटायी नहीं जावेगी।
8. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. जमानत राशि 5: जमा करानी होगी। जिसमें 2: धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी। जमानत राशि सामान सप्लाई/कार्य समाप्ति के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. निविदा के अनुसार सामान न देने व कार्य न करने/कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
12. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है की शर्तों के अनुसार करने हेतु निविदादाता को 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र लालसोट होगा।
14. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि महाविद्यालय, लालसोट स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 15- निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को होगा।
16. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
17. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
18. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्ज खर्च पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। तथा बोली प्रतिभूति (ठपक मबनतपजल) एवं कार्य संपादन राशि **(Performance Security)** जब्त की जा सकेगी।
19. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय निविदा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विध्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति **(Bid security)** एवं कार्य संपादन राशि **(Performance Security)** जब्त की जा सकेगी।
20. बोली प्रतिभूति **(Bid security)** राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।
21. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संधोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान, चतुर्पक्ष चतममितमदबमद्ध की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से ब्रिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय ब्रिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।
22. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00

23. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर को यह अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
24. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तषाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विष्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
25. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
26. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ-साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।
27. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
28. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
 - (ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
 - (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
 - (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
 - (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
 - (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
 - (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

29 हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि, –
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

११५

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

30. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विध्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विध्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप — (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

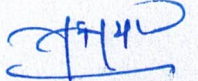
(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस — (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया — (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।


अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिकूल नहीं रहूँगा/रहेगी।

DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Jaipur (Dausa)

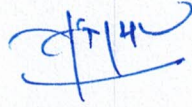
निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

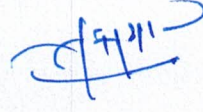


निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में Sports Equipment's Supply की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

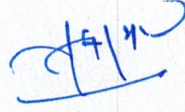
निविदादाता के हस्ताक्षर



Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने Sports Equipments Supply जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तषापी संस्था आदि को Lab Equipments आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विष्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर



Applicable for Manufacturer

प्रपत्र 'य'

Affidavit

(On non-judicial stamp paper of 50/-)

I..... S/o Aged..... yrs.
residing at Proprietor/Partner/Director of M/s do hereby
solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of
Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center.....The acknowledgment
No. is Dated and has been issued for manufacture of following
items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled
or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above
items.

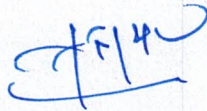
(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture
the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/oAged yrs residing at
Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c)
above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me
God.

Deponent



Turnover Certificate must be veified by CA with UDIN

प्रपत्र 'व'

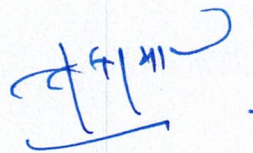
वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2022-23	
2023-24	
2024-25	
योग	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष

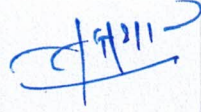
निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर एवं दिनांक

Verified by C.A. with UDIN



कृषि महाविद्यालय, लालसोट
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर)
तकनीकी निविदा प्रपत्र
(लिफाफा नं. 01)

1. के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....
.....
3. मोबाईल नम्बर ईमेल
4. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट ।
5. सन्दर्भ :
6. निविदा शुल्क रु..... नकद/चैक /DD जो रसीद सं..... द्वारा जमा कराया गया ।
7. हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....
की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
8. उपरोक्त दरें...31 मार्च 2026 तक मान्य रहेंगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
9. ड्राफ्ट/चैक नं..... नकद रसीद सं..... दिनांक..... रुपये..... धरोहर राशि के साथ संलग्न है।
10. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन/**PAN/GST** नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।
11. निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।
12. Annexure-I संलग्न है।
13. चाहे गये सामान/कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार है & List enclosed – Annexure-II (लिफाफा नं. 02)



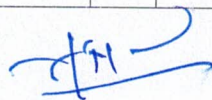
(हस्ताक्षर निविदादाता)

ANNEXURE I
Prescribed format for submitting Technical Bid

Technical bid vides tender numberdated must fill in Annexure 1

Equipment's and items for Sports Facilities

S. No.	Equipment	Specifications	Quantity (No.)	Make/Model of item/goods offered	Bidder's Response Please indicates whether items/goods quoted conform to the specifications (Yes/No).	Proof submitted at page No)
1	2	3	4	5	6	7
1.	AIR WALKER	Powder coating metal body. Dimension 1060x510x1425 mm. (18 Gage GI Pipe) Central Main pipe Dia 114MM. Paddle pipe-48MM. Upper pipe-32MM. Metal Thickness-2.6MM. capacity up to: 100 Kg. Permanent Lubricated sealed bearing of reputed brand. Color as per our choice. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts. (60 Kg)	01			Color Photo attached
2.	HIP & WAIST TWISTER Triple person	Dimension(mm):1400*1400*1350. Material: High quality Steel 114 mm & 3mm. Color: customized Powder Coated 80-120 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(35 Kg)	01			Color Photo attached
3.	SHOULR EXERCIE WHEEL	Dimension (mm): 730*920*1980. Material: High Quality Steel 114 mm& 3mm. Colour: customized powder Coated 80-120 MICRONS. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts. (45 Kg)	02			Color Photo attached
4.	SINGLE POSITION BODY RIDER	Dimension(mm): 970*550*1100. Material: High quality Steel 114 mm & 3 mm. Color: customized powder Coated 80-120 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts. (40 Kg)	02			Color Photo attached
5.	AIR STRIDER	Dimension(mm): 1560*1560*700. Material: High quality Steel 114 mm & 3 mm. Color: customized powder Coated 80-120 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts. (55 Kg)	02			Color Photo attached
6.	SIT BOARD UP DOUBLE	Dimension(mm): 1300*1120*630. Material: High quality Steel 114 mm & 3 mm. Color: customized powder Coated 80-120 microns. Sit up board double should be attached with single bar. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(40 Kg)	01			Color Photo attached
7.	DOUBLE SEATED PUSH TRAINER	Stainless Steel (SS) Standard Lift. 15m pully Style. VariableSpeed power Source Manual. Pulley Web Style Thin/Ribbed Web. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(48 Kg)	03			Color Photo attached



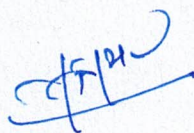
8.	BACK EXTENSION	Made from 'C' class G.I pipe. Seat fitted with high quality FRP material. Closing Caps made from FRP material. Powder coat polyurethane & epoxy, 60-70 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(35 Kg)	02			Color Phot o attec hed
9.	MULTIFUNC TIONAL TRAINER	Made from 'C' class G.I pipe. Dimensions: 645*630*2000mm. Safe area: 3Mtr *1.6mtr. 9 Powder coat polyurethane & epoxy, 60-70 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(50 Kg)	01			Color Phot o attec hed
10	HORSE RIDER	Made from 'C' class G.I pipe. Pins used are made of bright bar. Bearings: 6205 zz Galvanized nut bolts. Circlips A25MM. Powder Coat polyurethane & epoxy, 60-70 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(30 Kg)	02			Color Phot o attec hed
11	ROWER	Made from 'C' class G.I pipe. Closing caps are made from top quality FRP material. The pins used are made up of hardened bright bar. The bearings used are of "6203" permanent lubricated sealed bearing of reputed make. The handles used are of Rubber grip. The nut bolts used for assembly are made from S.S. material. The Powder coat polyurethane & epoxy, 60-70 microns thickness. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(40 Kg)	03			Color Phot o attec hed
12	MONKEY BAR	Main pipe size- Dia- 90mm, Thickness 3.2mm. Base-5mm, dia 2000 mm, dimension- length 18 feet, height 10 feet, width 2 feet total 26 bar with side including.(70 Kg)	02			Color Phot o attec hed
13	LEG EXTENSION	Material: Stainless steel. Dimensions: 5*2.5*4ft. Seat height: 20 inches. Foot pad height: 20 inches from seat. Powder coat polyurethane & Epoxy 60-70 microns. Separate Installation base that is to be attach with open able nuts.(35 Kg)	02			Color Phot o attec hed
14	Cross trainer	Type: Central drive Categoric: commercial slandered Incline type: Manual Frequency: 01 Size: 4*5 feet Assembled weight: Approx 45 Kg	03			Color Phot o attec hed
15	Exercise Cycle	Kx fitness Equipment's Type of Bicycle: Recumbent Max User Weight: 200Kg Resistance Type: Magnetic (30 Kg)	02			Color Phot o attec hed
16	Balance Beam	The balance beam is done is 4 feet 1 inch (1.25m) in height and 4 inch (10cm) in diameter and a total of 16.5 feet (5m) in length. The powder coat is done by poly urethane & Epoxy powder with 60to 70-micron thickness.	01			Color Phot o attec hed

07/14

		Made from "B" Class GI Pipe (26 Kg)				
17	Pull up bar	Stainless Steel to resist rust and corrosion Bar Diameter 1.5-inch, Height 9 feet, Length 5 feet, the powder coat is done by poly urethane & Epoxy powder with 60 to 70-micron thickness. (45 Kg)	01			Color Photo attached
18	Uneven Bars	Stainless Steel to resist rust and corrosion, Height: Height Bars 250cm (8.2ft), Low bar 170cm (5.6ft) Bar Diameter 4 cm (1.6 inch), Length of the bars : 240cm (7.9ft) Diagonal Distance between the two bars varies, 130 cm (4.3 fit)- 190 cm (6.2 fit) the powder coat is done by poly urethane & Epoxy powder with 60 to 70-micron thickness. (45 Kg)	01			Color Photo attached
19	TAI-Chispinner 4 wheel	TAI-CHISPINNER equipment Made from "B" Class GI Pipe Base cover cap is made up heigh quality HDPE/LLDPE material in attractive colors (55 Kg)	02			Color Photo attached

Every item should be capacity up to 100 kg Exercise load. GI pipe not below 18 gages. Warranty for three years.

NOTE: The quoted items must be fulfilled all the specifications prescribed in the ANNEXTURE-I and write YES/NO in column No. 6. The specifications of supplied items will be verified. In case of not fulfillment of specification the Items will be rejected.



Name & Signature of Bidder

Name of Firm:

Address:

ANNEXURE II

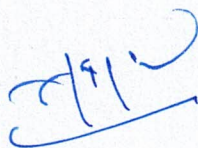
Prescribed format for submitting **Financial Bid**

Financial bid vide tender number..... dated must fill in Annexure II and submit envelop No. 2

Equipment's and items for Sports Facilities

S. No.	EQUIPMENT	Quated prise per piece	GST	Quated prise per piece inclusive GST
1.	AIR WALKER			
2.	HIP & WAIST TWISTER Triple person			
3.	SHOULR EXERCIE WHEEL			
4.	SINGLE POSITION BODY RIDER			
5.	AIR STRIDER			
6.	SIT UP BOARD DOUBLE			
7.	DOUBLE SEATED PUSH TRAINER			
8.	BACK EXTENSION			
9.	MULTIFUNCTIONAL TRAINER			
10.	HORSE RIDER			
11.	ROWER			
12.	MONKEY BAR			
13.	LEG EXTENSION			
14.	Cross trainer			
15.	Exercise Cycle			
16.	Balance Beam			
17.	Pull up bar			
18.	Uneven Bars			
19.	TAI- Chispinner 4 wheel			

ANNEXURE-II*Price including IMD, testing, packing and forwarding charges.



Name of Firm:

Address: